[illegible]

25/5/17 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं
प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दफ्तर में
दाखिल की जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः—भोपालगढ

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19 / 2016

उनवान

1.श्रीमति फातमा बाई पत्नी अलाबेली मन्सुरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा

2.श्री शरीफ मोहम्मद पुत्र अलाबली मन्सुरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा

3 श्री रफीक मोहम्मद पुत्र अलाबेली मन्सुरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा

4 श्री शब्बीर मोहम्मद पुत्र अलाबेली मन्सुरी निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा

—: वादीगण

बनाम

1 श्री किशनलाल पुत्र सोहनलाल सुनार निवासी गाडरमाला तहसील व जिला भीलवाडा हाल निवासी भूखण्ड सं. —71— आनन्द पब्लिक स्कुल के सामने, मालोला रोड, मारूति कॉलोनी भीलवाडा

2.श्री सुखलाल सोनी पुत्र कल्याणमल सोनी (स्वर्णकार) निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा

3.राजस्थान—राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—: प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय दिनांकः—25.05.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट भोपालगढ पर पैश हुई। वादी संख्या 1,2,3,4 उपस्थित प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित वादी ने एक वाद पत्र ग्राम भोपालगढ के आराजी नम्बर 1073 रकबा 2 बीघा भूमी एंव आराजी नम्बर 1074 रकबा 09 बिस्वा भूमी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए, 188 आरटीए का प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर आराजी संख्या 1074 दर्ज होकर शामलाती हक हिस्सा है एंव आराजी संख्या 1073 वादी संख्या 01 के नाम पर शामलाती तौर दर्ज है। वादग्रस्त आराजी संख्या 1074 आराजी चाह को वादी संख्या 01 एंव वादी संख्या 01 के पति अलाबेली पुत्र धुकल मंसूरी ने जरिये इकरार दिनांक 06.08.1993 के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से को खरीद कर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अलाबेली का देहान्त करीब 13 वर्ष पूर्व हो चुका है और वादीगण इनके वारिसान है। इस कारण

आराजी संख्या 1074 प्रतिवादी संख्या 01 के खाते में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 05.03.2011 को वादीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में इनके नाम दर्ज होने के कारण वह उक्त आराजीयात के उसके हक हिस्से को प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय करेगा और वादीगण से जबरन कब्जा हटा देंगे। वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण ने प्रतिफल देकर खरीद किया है और मौके पर 17 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आराजी संख्या 1073 वादी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात के ममाकिलक है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 की नियत में फितुर आ गया है और वे आराजी संख्या 1074 को खुर्द बुर्द कर हडप करना चाह रहे है जिनका कि प्रतिवादीगण कोई हक अधिकार नही है। वादीगण विक्रयपत्र एंव कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम पर घोषणात्मक डिक्री द्वारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 02 के मन में पिछले कुछ समय से बईमानी उत्पन्न हो गई है एंव जमीनो की किमते बढ जाने के कारण राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम होने के कारण आराजी को पौषिदा तौर विक्रय कर देने की धमकिया देने लगे है प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर विक्रय करने पर आमादा है तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की उपज देने एंव संयुक्त तौर कब्जा कर करने में भी आनाकानी करने लगे है। इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे तथा वादीगण को बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर दिनांक 17.08.2011 को प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाडा में ईकरार नामा दिनांक 06.08.1993 के विनिर्दिष्ट अनुपालना घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का पैश किया हुआ है, जो लम्बित है, एक ही नौयत के वाद दो न्यायालयो में चलाया जाना कदापि भी न्यायोचित नही है वाद पत्र ईकरारनामा सिविल न्यायालय में लम्बित है उसका निस्तारण भी सिविल न्यायालय से ही किया जाना सम्भव है। सिविल वाद प्रस्तुत करने के पश्चात पुनः राजस्व वाद पैश किया है कि जो पोषणिय नही है। अतः वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज कराया जावे। इस प्रार्थना पत्र का वादी एंव वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब दिनांक 8.12.2011 को पैश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 5 को दोहराते हुए वादी का वाद पत्र खारीज कराने की प्रार्थना की है।

वादी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र आधारहीन है, वाद पत्र राजस्व न्यायालय से संबंधित होकर वाद पत्र सुनवाई योग्य होकर स्वीकार योग्य है, प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त होने योग्य है।

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 69/2011 एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब का अध्ययन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव तथ्यो का भली भांति परीक्षण किया

10 रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 06.08.1993 को रू0 40,000–00 में अलाबेली पिता धुकल मसुंरी निवासी गाडरमाला के पक्ष में विक्रय करना तय करते हुए विक्रय की राशि में से 25000–00 रू0 प्राप्त कर आराजियात का कब्जा केता अलाबेली को सिपुर्द कर दिया है। उक्त विक्रय ईकरार अनरजिस्टर्ड होकर रू0 40,0000–00 रू0 के प्रतिफल पर लिखा गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, उक्त विक्रय ईकरार के आधार पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हे, जो पोषणीय नही है। वादी का वाद पत्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर होने से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्रारम्भ से ही विधी विरूद्व हे। वादी का वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतःएंव

आदेश

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता हे। वादीगण द्वारा ग्राम भोपालगढ के आराजी संख्या 1073 रकबा 2 बीघा भूमी राजस्व रेकार्ड में किस्म उधोग एंव गै.मु. आवासीय दर्ज रेकार्ड होकर वादी संख्या 1 के नाम पर 1/5 हिस्से से दर्ज रेकार्ड है। एंव आराजी नम्बर 1074 रकबा 09 बिस्वा भूमी गै.मु. कुआ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो दिनांक 6.08.1993 को विक्रय ईकरार अलाबेली पिता धुकल मंसुरी निवासी गाडरमाला के पक्ष में अनरजिस्टर्ड सम्पादित किया गया है। अनरजिस्टड्र दस्तावेज के आधार पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए,188 आरटीए का प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्व होकर पोषणीय नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारीज किया जाता है। डिक्री जारी करे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाये।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः–भोपालगढ